राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज प्रकोष्ठ)

क्रमांक : F-7 (255) / DWDSC / Trg / JSA-IEC / 299 – 423 जयपुर, दिनांक :- 10.07.2019

1. संभागीय आयुक्त (समस्त)
   राजस्थान
2. जिला कलेक्टर (समस्त)
   राजस्थान
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त)
   जिला परिषद्

विषय :– जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियों के आयोजन बाबत् ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करने का कष्ट करें :–

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	दिनांक	आयोजन स्थल	आयोजक संस्था	अनुमत अधिकतम व्यय
1	जल शक्ति एवं स्वच्छता प्रभातफेरी	सोमवार, 15.07.2019	जिला मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय	जिला प्रशासन, जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत (शिक्षा विभाग एवं स्थानीय विद्यालय / महाविद्यालय के सहयोग से)	जिला मुख्यालय हेतु रू.5000, पंचायत समिति मुख्यालय हेतु रू. 2500 तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय हेतु रू. 1500 जिसे बैनर / तख्तीयों तथा जलपान हेतु उपयोग किया जायेगा।
2	जल शक्ति एवं स्वच्छता ग्राम सभा	सोमवार, 15.07.2019	ग्राम पंचायत मुख्यालय	ग्राम पंचायत	रू 1500 जिसे बैनर एवं जलपान हेतु उपयोग किया जायेगा।
3	जल शक्ति एवं स्वच्छता निबन्ध, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	सोमवार, 22.07.2019	समस्त माध्यमिक विद्यालय, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय	जिला प्रशासन, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय	जिला मुख्यालय हेतु रू. 5000, पंचायत समिति मुख्यालय हेतु 2500 तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय हेतु रू 1500 जिसे प्रमाण पत्र छपवाने तथा जलपान हेतु उपयोग किया जायेगा प्रमाण पत्र विजेताओं के साथ साथ समस्त प्रतिभागियों को दिया जायेगा की उन्होनें उक्त प्रतियोगिता में भाग लिया।
4	जल शक्ति एवं स्वच्छता श्रमदान एवं वृक्षारोपण	सोमवार, 29.07.2019	समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा ग्राम पंचायत द्वारा चयनित कोई राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	रू. 1500 जिसे जलपान हेतु उपयोग किया जायेगा।
5	जल शक्ति एवं स्वच्छता सांस्कृतिक संध्या	सोमवार, 14.08.2019	प्रत्येक जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय	जिला प्रशासन, जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत (शिक्षा विभाग एवं स्थानीय विद्यालय / महाविद्यालय के सहयोग से)	जिला मुख्यालय हेतु रू. 5000, पंचायत समिति मुख्यालय हेतु 2500 तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय हेतु 1500 जिसे बैनर, जलपान तथा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र हेतु उपयोग किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त समस्त व्यय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के जिला आईईसी मद से किया जावे। गतिविधियों के आयोजन के उपरान्त इसकी संकलित रिपोर्ट निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जयपुर को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। कृपया उक्त रिपोर्ट को मय फोटोग्राफ भारत सरकार के डेजीग्नेटेड पोर्टल https://indiawater.gov.in/jsa पर अपलोड किया जाना भी सुनिश्चित करें।

(डी. बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्रीगण/माननीय राज्य मंत्रीगण, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज